



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267282
CG-DL-E-30102025-267282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4788]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947

No. 4788]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4943(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2050(अ), तारीख 2 मई, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 2 मई, 2022 में प्रकाशित की गई है, द्वारा मैसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड को 'प्रवर्ग क खोज अभिकरण' के अधीन अधिसूचित किया है।

2. और, अपनी प्रारंभिक प्रत्यायन अवधि पूरी होने पर, मैसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड ने तारीख 23 मार्च, 2025 को भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड से पुनः प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है।

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्यांक एम.वी-16/15/2021-खान, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) के अनुसार, मैसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के उक्त दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के 'प्रवर्ग क खोज अभिकरण' के रूप में अधिसूचित करती है।

4. अभिकरण, प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरण की अधिसूचनाओं के लिए उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वक्षण संक्रिया करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसकी समाप्ति तक या प्रदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI- भाग(1)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

नोट—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2050(अ), तारीख 2 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2025

S.O. 4943(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government notified M/s. GeoExpOre Private Limited under 'Category A Exploration Agencies' *vide* notification number S. O. 2050(E), dated the 2nd May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd May, 2022;

2. And whereas, upon completion of its initial accreditation period, M/s. GeoExpOre Private Limited has obtained re-accreditation from the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India on the 23rd March, 2025;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act and in accordance with the guidelines (hereinafter referred to as the said guidelines) for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines *vide* Order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby notifies M/s. GeoExpOre Private Limited as 'Category A Exploration Agencies' for the purposes of the said second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act.

4. The agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines for notifications of accredited private exploration agencies.

5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of five years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI-Part(1)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note .— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2050(E), dated the 2nd May, 2022.